न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 52/16 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री भगवानी पत्नी स्व. मोहन मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।

.....प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता गणेश मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
2. श्री भेरूलाल पिता गणेश मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
3. श्री हंसा पुत्री गणेश पत्नी भगवान मेघवाल निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पा उर्फ कुशा पुत्री गणेश पत्नी रतनलाल मेघवाल निवासी पिपरोली तह. मावली।
5. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी गणेश मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
6. श्री पेमा पिता भील मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
7. श्री हीरा पिता भीमा मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
8. श्री चुना पिता भीमा मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
9. श्री नाथु पिता वरदा मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली।
10. श्रीमती चम्पा पत्नी वरदा मेघवाल निवासी तोरेला खेडा, (भानसोल) तह. मावली। विड्रो
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
12. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, तह. मावली।
13. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीयां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 15.01.2020

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीयां ने माननीय न्यायालय आपमें एक अन्तर्गत धारा 88–188–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होकर उसमें प्रार्थीया को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
2. यह कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1475, 1476, 1482, 1485, 1486, 1508, 1511, 1512, 1513, 1514, 1519, 1520, 1521, 1543 किता 4 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार खुमा, भीमा पिता रूपा के नाम 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 9, 10 के नाम 1/3 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। खातेदार खुमा का स्वर्गवास हो

चुका है जिनकी विधिक वारिस प्रार्थीयां हैं एवं खातेदार भीमा का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी सं. 1 से 8 तक है नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502 किता 10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार खुमा, भीमा पिता रूपा एवं विपक्षी सं. 9, 10 के नाम 1/4 हिस्सा, मु. चांदी बेवा खेमा 1/4 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। खातेदार खुमा का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विधिक वारिस प्रार्थीयां हैं एवं खातेदार भीमा का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस विपक्षी सं. 1 से 8 तक है तथा मु. चांदी लाऔलाद फौत हो चुकी हैं जिनके वारिस प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 से 10 हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1470, 1474, 1477, 1483, 1484, 1487, 1488, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1516, 1517, 1522, 1523, 1530 किता 19 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार चांदी बेवा खेमा के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित है। चांदी बेवा खेमा लाऔलाद फौत हो चुकी हैं जिनके वारिस प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 से 10 हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 1544, 1545, 1546, 1547 किता 4 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार खुमा पिता रूपा बलाई के नाम पर स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। खुमा पिता रूपा का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी वारिस प्रार्थीयां हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र साथ पेश हैं।

3. यह कि प्रार्थीयां एवं विपक्षी सं. 1 से 10 का सजरा खानदान निम्न है :–

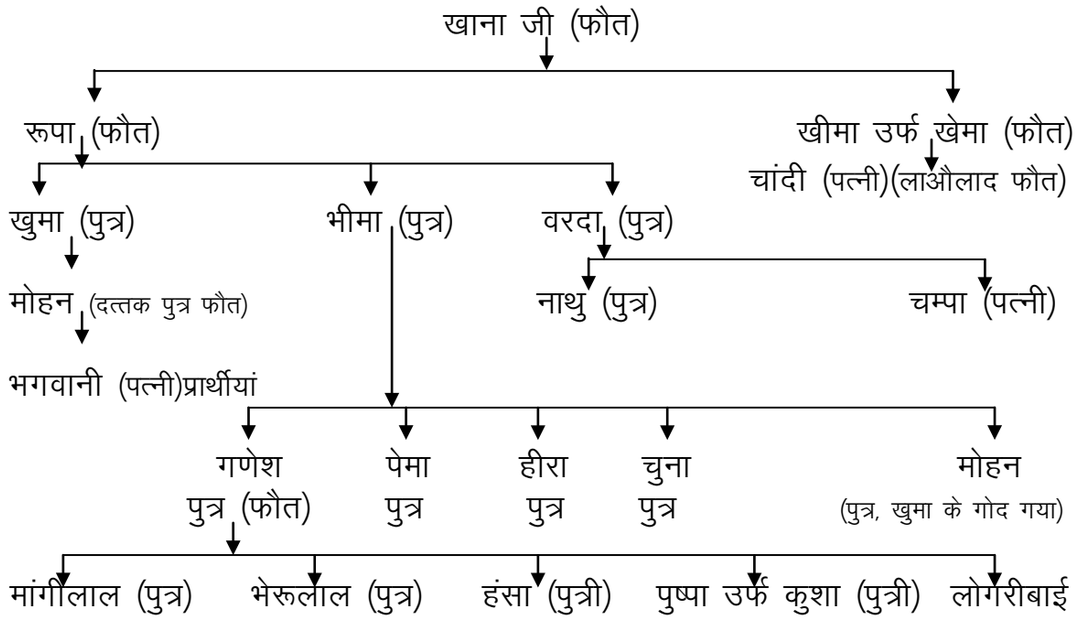

उक्त सजरे अनुसार खाना जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके दो पुत्र रूपा एवं खीमा उर्फ खेमा हुए। रूपा के तीन पुत्र खुमा, भीमा, वरदा हुए। खुमा के कोई सन्तान

नहीं होने से खुमा ने अपने जीवनकाल में भीमा के पुत्र मोहन अर्थात् प्रार्थीया के पति को अपने गोद रखा। भीमा के पुत्र गणेश, पेमा, हीरा, चुना, मोहन हुए। वरदा फौत हो चुका है जिसके एक पुत्र नाथु एवं पत्नी चम्पा हैं। गणेश फौत हो चुका हैं जिसके वारिस पुत्र मांगीलाल, भेरूलाल, पुत्री हंसा, पुष्पा उर्फ कुशा एवं पत्नी लोगरी है जो सभी इस मामले में पक्षकार बनाये गये हैं।

4. यह कि रूपाजी के सबसे बडे पुत्र खुमा जी के कोई सन्तान नहीं होने से खुमाजी ने अपने भाई भीमाजी के पुत्र मोहन अर्थात मुझ प्रार्थीयां के पति को हिन्दु रितिरिवजानुसार व सामाजिक परम्परा के अनुसार गांव एवं समाज के मौतबीरों की मौजूदगी में सम्वत् 2036 का आसाढ वीद 13 शुक्रवार तारीख 22.06.79 को अपने गोद लेकर इसी चौपनिये में लिखतम करा दी और गोद लेने के समय से ही मेरे पति मोहन जी अपने प्राकृतिक पिता भीमा को छोडकर अपने दत्तक पिता खुमाजी के पास ही निवास करते आ रहे थे और उनकी समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे थे और खुमाजी के मरने के पश्चात् भी इनके समस्त क्रियाकर्म भी मेरे पति ने ही किये थे। मेरे पति मोहन जी का देहावसान हो चुका है जिनकी मैं प्रार्थीयां विवाहित पत्नी होकर एकमात्र वारिस हुं और खुमा जी से मोहनजी को प्राप्त समस्त चल अचल सम्पति पर उनके दत्तक पुत्र मोहन की पत्नी होने से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हुं तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में चांदी बेवा खेमा के नाम पर अंकित भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हुं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीयां के स्वर्गीय पति मोहनजी अपने दततक पिता श्री खुमा जी की तमाम चल अचल सम्पति पर काबिज होकर उनके जीवनकाल में उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मेरे पति के देहावसान के बाद मेरे पति से प्राप्त सम्पतियों एवं वाद वर्णित कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हुं और मैं प्रार्थीयां ही स्व. खुमा जी के दत्तक पुत्र मोहन जी की पत्नी होकर एकमात्र विधिक वारिस होकर उत्तराधिकारी हुं। लेकिन विपक्षी सं. 1 से 10 के मन में लोभ लालच की भावना जागृत होने से व मुझ प्रार्थीयां को मेरे जायज हक अधिकारों से वंचित करने की नियत से स्व. खुमाजी के नाम अंकित भूमि को अपने नाम पर विरासत से दर्ज करा उक्त कृषि भूमि को अन्य को हस्तान्तकरण करने पर आमादा हो रहा है जबकि विपक्षी सं. 1 से 10 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि खुमाजी ने मुझ प्रार्थीयां के पति श्री मोहनजी को उनके प्राकृतिक माता–पिता से सामाजिक रितिरिवाजानुसार गोद लिया था और गोद लेने के समय से मेरे पति दत्तक पुत्र की हैसियत से खुमाजी के पास निवास कर उनकी सेवा चाकरी करते आ रहे थे और पुत्र की हैसियत से उनकी सभी जायदाद का उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा मरे पति के निधनोपरान्त मैं प्रार्थीयां उक्त जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हुं तथा चांदी बेवा खेमा के

लाऔलाद फौत होने से उसके नाम दर्ज भूमि के 1/3 हिस्सा पर भी मैं प्रार्थीयां काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हुं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थीयां प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (अ,ब,द) में खुमा पिता रूपा के नाम अंकित सम्पूर्ण कृषि भूमि को एवं परिशिष्ट (स) में अंकित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि को मेरे खातेदारी हक की घोषित करा हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूं जिसके लिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि मैं प्रार्थीयां स्व. खुमा जी के दत्तक पुत्र श्री मोहन जी की विवादित पत्नी होकर एकमात्र उत्तराधिकारी हु और खुमाजी के नाम दर्ज समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हुं और चांदी बेवा खेमा के नाम दर्ज भूमि के 1/3 हिस्सा पर भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिस पर पूर्व में मेरे पति मोहनजी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। लेकिन उक्त भूमि मेरे नाम पर अंकित नहीं होने से विपक्षी सं. 1 से 10 के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो जाने से वह स्व. खुमा जी के नाम अंकित भूमि को भी विरासत से अपने नाम पर भी अंकित करा उसे विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। जबकि विपक्षी सं. 1 से 10 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 से 10 धमकीयां भी दे रहे है कि वे इस जमीन पर को किसी भी तरीके से अपने नाम पर अंकित करा कर बेच कर ही दम लेंगें। इसलिए मैं प्रार्थीयां विपक्षी सं. 1 से 10 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हु कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों में खुमा पिता रूपा के नाम दर्ज भूमि में विपक्षी सं. 1 से 10 विरासत के आधार पर अपना नाम दर्ज नहीं करावें और विपक्षी सं. 1 से 10 उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ प्रार्थीयां को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीयां को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीयां के पक्ष में हैं।

7. यह कि विवादित भूमि पर खुमा जी के जीवनकाल से मुझ प्रार्थीयां के पति मोहन जी का एवं मोहन जी के जीवनकाल से प्रार्थीयां का करीबन 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और बिना किसी बाधा के निर्विवाद रूप से मैं प्रार्थीयां उपयोग उपभोग करती आ रही हूं तथा मुझ प्रार्थीयां के पति एवं मुझ प्रार्थीयां ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने

में भी काफी रूपयों का खर्चा किया और भूमि को आवादान की हैं। वैसे भी 50 वर्ष से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में खुमाजी के नाम दर्ज भूमि पर मुझ प्रार्थीयां व मुझ प्रार्थीयां के पति का प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर भी धारा 63 (1),(4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् मैं प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार हो गयी हुं।

8. यह कि मुझ प्रार्थीयां को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 05.02.2016 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 10 ने स्व. खुमा जी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम पर दर्ज करा खुर्द बुर्द करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 से 10 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अपना नाम विरासत से दर्ज नहीं करावे तथा विपक्षी सं. 1 से 10 उक्त कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीयां को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी सं. 1 से 10 उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु यदि कोई दस्तावेज विपक्षी सं. 11 से 13 के समक्ष पंजीयन हेतु पेश करे तो ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

10. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 10 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई।

11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीयां की एकतरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीयां व विपक्षीगण के मौरूस के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड

में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीया के कथनानुसार खुमा जी के कोई सन्तान नहीं होने से भीमा जी के पुत्र मोहन जो प्रार्थीयां का पति है को खुमा की ने दिनांक 22.06.79 को गोद लेकर लिखापढी कर ली है, तभी से ही खुमा की सेवा चाकरी मोहन द्वारा की गई है व खुमा की मृत्यु के पश्चात् उसकी चल अचल सम्पति मोहन व मोहन के बाद प्रार्थीयां द्वारा उपयोग उपभोग करना बताया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के वर्तमान में प्रार्थीयां व विपक्षीगण दोनों ही खातेदार नहीं हैं। प्रार्थग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया द्वारा विगत 50 वर्षो से खुमा के हिस्से की भूमि पर काबिज होना बताया है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में आंशिक साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्राथीर्या एवं विपक्षीगण दोनो ही खातेदार नहीं है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर मृतक खुमा के हिस्से की भूमि पर काबिज होना बताया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीया एवं विपक्षीगण खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में मूल पुरूष खाना जी हुए उनके पुत्र रूपा व खीमा जी हुए खीमा जी लाऔलाद फौत हुए, रूपा जी के 3 पुत्र खुमा भीमा व वरदा हुए, खुमा के काई औलाद नहीं होने से भीमा के पुत्र मोहन को खुमा द्वारा गोद लिया गया, प्रार्थीया गोद पुत्र मोहन की पत्नी है।

14. प्रार्थना ग्रस्त भूमि वर्तमान में खातेदार खुमा व भीमा के नाम पर ही दर्ज है। खाना के पुत्र खीमा उर्फ खेमा व उसकी पत्नी चांदीबाई लाऔलाद फौत हो चुके हैं, जिससे खीमा का हिस्सा भी प्रथम दृष्टया रूपा के वारिसों में निहित होना प्रतीत होता हैं। रूपा के तीनों पुत्र खुमा, भीमा व वरदा की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया द्वारा गोदनामे के आधार पर खुमा जी के भूमि का उपयोग–उपभोग प्रार्थीया के पति मोहन एवं मोहन के बाद प्रार्थीया द्वारा करना बताया है। प्रार्थीयां द्वारा मोहन का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी मोहन के पिता के रूप में खुमा जी का नाम दर्ज हैं। चूंकि प्रकरण में विरासत से नामान्तरकरण नहीं खुला है, इसलिये विपक्षीगण प्रार्थीया के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है, इसलिये प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाह रही है। प्रकरण में मौके पर लगभग 50 वर्षो से प्रार्थीया के पति मोहन व प्रार्थीया का

कब्जा होने का कथन किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित हुए है। प्रार्थीया द्वारा गोदनामा के दस्तावेज के आधार पर कब्जा होने का कथन किया है जो कि मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे।

15. प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार नहीं है एवं न ही प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए है, यदि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो इससे प्रार्थीया को भारी क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थीया के हक हिस्से अर्थात खुमा के नाम दर्ज भूमि जो गोदनामा के आधार पर मोहन के हिस्से तक की भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना न्यायहित में आवश्यक है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1475, 1476, 1482, 1485, 1486, 1508, 1511, 1512, 1513, 1514, 1519, 1520, 1521, 1543 किता 4 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खुमा जी के 1/3 हिस्सा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502 किता 10 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि में खुमाजी के हिस्से 1/12 तक व मु.चांदी बेवा खेमा के नाम दर्ज 1/4 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1/12 हिस्सा, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 1470, 1474, 1477, 1483, 1484, 1487, 1488, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1510, 1516, 1517, 1522, 1523, 1530 किता 19 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा एवं परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 1544, 1545, 1546, 1547 किता 4 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा दर्ज सम्पूर्ण भूमि में विपक्षी सं. 1 से 9 मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 17:15:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: